



1	नाम कर्मचारी :	पद :	PAN :				
2	आय :	वर्ष- 2021-22 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मुल्य सहित )		₹	-		
3	गृह किराया, धारा 10(13 A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14) के अन्तर्गत अन्य भते जो कर मुक्त है।			₹	-		
4			शेष (2-3)	₹	-		
5	(i) स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 50,000 (अधिकतम) धारा 16 (ia)						
	(ii) मनोरंजन भता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत ( अधिकतम सीमा रु 5000 )						
	(iii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत						
			योग (5)	₹	-		
6			शेष (4-5)	₹	-		
7	(अ) गृह सम्पत्ति से आय: (1) स्वयं के उपयोग में -शून्य	(2) प्राप्त किराया रु.	0.00				
	(ब) घटायें	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग 7(ब)		
			शेष - /+(7(अ) एवं योग 7(ब) का)	₹	-		
8			कुल शेष - /+ (6 एवं 7)	₹	-		
9	अन्य आय			₹	-		
10	सकल आय		योग (8 + 9)	₹	-		
11	घटाइये कटौतियाँ :-						
	(A) धारा US 80C, 80CCC, 80CCD (1) अधिकतम कटौती की राशि			₹	-		
	(B) घटाइये- धारा 80CCD(2) नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट			₹	-		
	(C) घटाइये - धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)			₹	-		
			योग 11(A+B+C)	₹	-		
12	अन्य कटौतियाँ						
	1. धारा 80 D ,चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयं,पति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000,सीनियर सिटीजन रु 50000)			₹	-		
	2. धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)			₹	-		
	3. धारा 80DDB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सीनियर सिटीजन हेतु रु 100,000)			₹	-		
	4. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज			₹	-		
	5. धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान ( क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)			₹	-		
	6. धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995 के अनुसार 125,000)			₹	-		
	7. धारा 80 TTA बचत खाते पर ब्याज की अधिकतम छूट रु. 10,000 U/S 194(IA)			₹	-		
	8. धारा 80 TTB - वरिष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार के ब्याज पर अधिकतम छूट- 50000 रु. U/S 194(A)			₹	-		
	9. धारा 80 GGA अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान			₹	-		
			कुल योग 12 ( 1 से 9 तक )	₹	-		
13	कुल कटौती ( 11 + 12)			₹	-		
14	कर योग्य आय ( 10 - 13 )			₹	-		
15	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना ( दस के गुणक में ) धारा 288A			₹	-		
16	आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर						
	80 वर्ष या अधिक आयु	वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)	एक व्यक्ति कर दाता (आयु 60 वर्ष तक)				
	3,00,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil	2,50,000 तक	Nil	₹ -
	3,00,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	2,50,001-5,00,000	5%	₹ -
	5,00,001-7,50,000	10%	5,00,001-7,50,000	10%	5,00,001-7,50,000	10%	₹ -
	7,50,001 - 10,00,000	15%	7,50,001 - 10,00,000	15%	7,50,001 - 10,00,000	15%	₹ -
	10,00,001 - 12,50,000	20%	10,00,001 - 12,50,000	20%	10,00,001 - 12,50,000	20%	₹ -
	12,50,001 - 15,00,000	25%	12,50,001 - 15,00,000	25%	12,50,001 - 15,00,000	25%	₹ -
	15,00,000 से अधिक	30%	15,00,000 से अधिक	30%	15,00,000 से अधिक	30%	₹ -
	(1) योग आयकर						₹ -
	(2) छूट धारा 87(A) (2.50 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12,500 तक)						₹ -
	(3) शेष आयकर (1-2)						₹ -
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)						₹ -
			कुल आयकर (3 + 4)				₹ -
17	घटाइये :- राहत धारा 89 के तहत						₹ -
18	कुल शेष आयकर						₹ -
19	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2021 तक रुपये	अक्टूबर से दिसम्बर 2021 रुपये	जनवरी 2022 रुपये	फरवरी 2022 रुपये	टी.डी.एस. रुपये	कुल टैक्स कटौती योग कॉलम 19
		0	0	0	0	0	₹ -
							Income Tax Payble/Refundable
							₹ -

Signature of Employee

Signature of DDO

